शिक्षा ऋण सम्बन्धी आवश्यक जानकारियाँ

आजकल सभी स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद बेहतर नौकरी की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इस तरह के कोर्स प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थान कराते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में सेलेक्ट होने के बाद फीस बहुत ज्यादा होने के कारण अभिभावक के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस कोर्स या कॉलेज में पढ़ाई के खर्चे को लेकर होती है। जिन अभिभावकों ने समय रहते अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी, उन्हें तो विशेष परेशानी नहीं होगी। पर जिन अभिभावकों ने ऐसा नहीं किया है उन लोगों के लिए एजेकुशन खासतौर पर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए पैसे के इंतजाम करने में काफी मुश्किलें आती हैं। इस समय बैंक के मार्फत लोन की मदद से आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं।

क्या है एजुकेशन लोन---

शिक्षा के लिए लिया जाने वाला ऋण एजुकेशन लोन कहलाता है। इसे लेकर स्टूडेंट्स अपनी इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त कर किसी भी क्षेत्र में ऊंचाईयाँ छू सकते हैं। जॉब लगने पर या फिर कोर्स करने के ६ महीने या एक वर्ष के अंतराल में कैंडिडेट को ब्याज के साथ लिया गया लोन वापस करना होता है। निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार बैंक से अधिकतम २० लाख रूपये तक लोन मिल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, एजुकेशन लोन लेने से पहले आप अपना बजट बना लें। बजट बनाने के लिए सर्वप्रथम यह देखें कि अलग-अलग मद में कितना खर्च होगा, पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कितने समय का कोर्स है। कब तक वहाँ रहना है। जहाँ जा रहे हैं उस शहर में लिविंग स्टैण्डर्ड या महंगाई का स्तर क्या है इत्यादि।

एकेडमिक कोर्स पर भी लोन

जब से टेक्निकल कोर्सेज में रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी हैं, छात्रों की रूझान भी इ ओर बढ़ा है। तब से बैंकों ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू किया है और एजुकेशनल लोन सिलसिला भी शुरू हुआ। एजुकेशन लोन पहले प्रोफेशनल कोर्स के लिए ही मिलता था, पर अब स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर ऐकेडेमिक शिक्षा के लिए भी लोन मिलने लगा है। इस तरह के लोन उन्हीं एकेडमिक कोर्स पर मिलते हैं, जिसमें नौकरी की संभावना अधिक हो। इस बदले माहौल में खुद सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए फायदेमंद लोन स्कीम्स शुरू की है। भारत सरकार के एक सर्वे पर गौर करें तो देश में बारहवीं उत्तीर्ण कुल छात्रों में केवल ५ से १० फीसदी छात्र ही प्रोफेशनल कोर्सेज कर पाते हैं, जबकि विकसित देशों में यहा आंकड़ा ६० फीसदी तक है। सरकार इन आंकड़ों को बराबर करने लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। आई.बी.ए. की 'मॉडल एजुकेशन स्कीम' को आर्थिक विकास की धुरी मानते हुए अब लोन केवल प्रोफेशलन कोर्सेज के लिए ही नहीं बल्कि सभी एकेडमिक डिग्रियों और डिप्लोमा लेवल कोर्सों के लिए भी उपलब्ध है। वहीं नामचीन विदेशी विश्वविद्यालयों, संस्थानों से कोर्स करने पर भी एजुकेशन लोन की व्यवस्था है।

कौन हैं लोन के हकदार

यदि आप केन्द्रीय, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर ऑल इंडिया कांउसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के मान्यता प्राप्त संस्थानों से सर्टिफिकेट कोर्स या फिर पीएचडी जैसे प्रोग्राम में प्रवेश लेते हैं तो आप लोन के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त आप ---

-भारत के नागरिक हों।

-आयु अधिकतम पैंतीस वर्ष के आसपास हो। एडमिशन सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में हुआ हो।

-प्रोफेशनल अथवा स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के लिए ही लोन।

-केवल रेगुलर शिक्षा के लिए ही ऋण उपलब्ध।

आवश्यक दस्तावेज

-एजुकेशन लोन लेने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज मौजूद होने चाहिए-

-पूर्ण शिक्षा के समस्त प्रमाण पत्र/अंक तालिकाएँ।

-जिस कॉलेज अथवा इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले रहे हों उसका अथॉरिटी लेटर/एडमिशन स्लिप।

-आयु, पता तथा फोटो पहचान पत्र आदि।

-यदि विदेश में एडमिशन लिया या ले रहे हैं तो पासपोर्ट या वीजा दिखाइए।

-पिता/अभिभावक का इनकम सर्टिफिकेट।

–अधिक लोन लेने पर पिता/अभिभावक की पिछले छह माह की सैलेरी स्लिप की कॉपी/बैंक स्टेटमेंट अथवा उनकी सम्पत्ति के दस्तावेज।

–अभिभावक/पिता का पहचान पत्र इत्यादि।

सिक्योरिटी

प्रत्येक बैंक दस्तावेज और दूसरे सर्टिफिकेट्स को दिए जा रहे लोन की सिक्योरिटी गारंटी के रूप में मांगता है। यह गारंटी बैंक केवल प्रार्थी के नजदीकी (पिता, माता, बड़े भाई, सास-श्वसुर आदि) से ही स्वीकार करता है। गारंटी के तौर पर बैंक अपने पास चल अथवा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा अथवा वेतन की डिटेल, आईटीआर आदि रखता है। लोन लेने वाले अभ्यर्थी को कोर्स समाप्त होने के एक साल बाद या जॉब लगने के छह महीने से (जो भी पहले हो) निर्धारित किस्तों के आधार पर लोन वापस करना आवश्यक होगा। लेकिन लोन वापसी की अधिकतम सीमा ७ वर्ष होगी। इस दौरान स्टूडेंट्स को अपनी पूर्व शिक्षा के डाक्यूमेंट्स/उनकी फोटोकॉपी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी बैंक में जमा करनी पड़ती है।

लोन वापसी में सुविधा

सरकार ने छात्रों की सुविधा के अनुसार एजुकेशन लोन वापसी की व्यवस्था की है। कर्ज अदायगी की अवधि ५ से ७ वर्ष क बीच तय है। अमूमन इस दौरान छात्र अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन पूरा कर लेता है। छात्र को जॉब लगने के ६ माह या फिर कोर्स पूरा करने के एक साल बाद लोन (जो भी पहले हो) लोन अदायगी करनी पड़ती है। इस अवधि को मोरीटोरियम पीरियड कहते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक छात्रों की ट्यूशन फीस, यात्रा खर्च, हॉस्टल जैसे बड़े खर्चों को कवर करता है। देश में शिक्षा के लिए अधिकतम १० लाख रुपये और विदेश में पढ़ाई के लिए अधिकतम २० लाख रूपये तक के एजुकेशन लोन दिए जाने का प्रावधान है। एजुकेशन लोन के रूप में यदि चार लाख रूपये तक का लोन स्टूडेंड ले रहा है तो उसके अभिभावक को कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। हाँ यदि ४ लाख से ऊपर तक का लोन लिया जा रहा है तो गारंटी देने का प्रावधान है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ४.५ रूपये से कम है तो उसे शिक्षा ऋण पर सब्सिडी मिलती है।

छूट का है प्रावधान

छात्र ने यदि आईआईटी, आईआईएमसी, आईआईएम, निफ्ट जैसे प्रीमियम संस्थानों में प्रवेश लिया है तो उसे एजुकेशन लोन पर बैंक ब्याज दर में छूट मिलती है। इतना नहीं नहीं बैंक एक निश्चित आय वर्ग से संबंधित कैंडिडेट को ब्याज में राहत देता है। वहीं बालिकाओं को भी एजुकेशन लोन में १ फिसदी छूट का नियम है। एक अनुमान के मुताबि सबसे अधिक एजुकेशन लोन मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स लेते हैं, उसके बाद प्रतिष्ठित संस्थानों में टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या होती है। नौकरी की संभावनाएँ अधिक होने के कारण बैंक इस तरह के स्टूडेंट्स को अधिक वरीयता देती है।

ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवरेज

ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम के तहत ज्यादातर बैंक इंश्योरेंस कवर प्रदान करते हैं। लोन अवधि (५ से ७ साल) के दौरान यदि 'बारोअर' की आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसका पूरा पैसा बैंक को बीमा कम्पनियों से मिलता है। इस तरह के इंश्योरेंस में बैंकों का पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की बीमा कम्पनियों से टाई-अप रहता है, जिसे 'ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवरेज' के नाम से जाना जाता है। जहाँ बच्चे की उम्र के हिसाब से प्रीमियम में फर्क होता है। किसी भी बैंक में एजुकेशन लोन लेने से पहले रिपेमेंट, ब्याज (फिक्स या फ्लोटिंग रेट) और इसकी शर्त, प्रोसेसिंग फीस आदि की जाँच-पड़ताल कर लें। एजुकेशन लोन की अवधि ५ से ७ वर्ष की होती है, इसलिए रिपेमेंट के लिए फिक्स रेट ज्यादा मुनासिब माना जाता है।

अगर लेनी हो विदेशी शिक्षा

यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और वहाँ की सभी योग्यताएँ पूरी करते हैं, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप एजुकेशन लोन लेकर अपने अरमानों को पंख दे सकते हैं। वे सभी लोग लोन पाने के हकदार हैं, जो भारत के नागरिक हैं। किसी व्यवसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में उसका प्रवेश, परीक्षा या अन्य चयन प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। विदेशी शिक्षा के लिए आप अधिक से अधिक २० लाख रूपये तक के लोन ले सकते हैं। यदि आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस बात का पता अवश्य कर लें कि संस्थान मान्यता प्राप्त है या नहीं। इसके अलावा वहाँ संस्थान की क्या स्थिति है। कुछ संस्थान बैंक से गठजोड़ करके आसानी से एजुकेशन लोन दिलाते हैं। इस कारण भ्रम में न रहें कि एजुकेशन लोन मिलने पर संस्थान सही है। कुछ बैंक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, रिपेमेन्ट चार्ज आदि लेते हैं। बैंक कोर्स के दौरान ही रिपेमेन्ट की सुविधाएँ देते हैं। यदि आप सक्षम हैं तो इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो परेशानी नहीं होगी।